15/05/25

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14/12/2021 के विरुद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 10 द्वारा माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी/टी.ए./54/2022 प्रस्तुत की गई। उपरोक्त निगरानी के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15/05/2024 के जरिये हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश 14/12/2021 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को 01 माह में निस्तारित किये जाने बाबत आदेशित किया गया। माननीय राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण में सीधे ही मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय को किये जाने के फलस्वरूप हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली